Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

➢ **जयपुर में प्रंशात गुप्ता कनिष्ठ विधि अधिकारी कार्यालय आवासन मण्डल जयपुर एक लाख रूपये रिश्वत लेते गिरफ्तार।**

जयपुर, 29 जनवरी बुधवार। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. चौकी भरतपुर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करतें हुए आरोपी **श्री प्रंशात गुप्ता कनिष्ठ विधि अधिकारी, आवासन मण्डल जयपुर को एक लाख रूपये** रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस श्री डा. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि ए.सी.बी. की चौकी भरतपुर कों एक शिकायत इस आशय की मिली की परिवादी के पिता के नाम के नाम राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की विशिष्ठ पंजीकरण योजना 2003 के अन्तर्गत इंदिरा गांधी नगर जगतपुरा में आवास आवंटित हुआ था। पिता की मृत्यु पश्चात उक्त आवास का स्थानान्तरण परिवादी के नाम हो गया था उक्त अधिकारी द्वारा उक्त आवास का मांग पत्र जारी करने की एवज में 2,50,000 रूपये की रिश्वत की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी रेंज **भरतपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री राजेश सिंह** के सुपरविजन में एसीबी चौकी भरतपुर के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अमित सिंह** के नेतृत्व में आज उनके द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करतें हुए आरोपी **श्री प्रंशात गुप्ता कनिष्ठ विधि अधिकारी, आवासन मण्डल जयपुर को एक लाख रूपय रिश्वत** लेतें रंगे हाथो गिरफ्तार किया गया है एवं संदिग्ध **श्री अनिल पालीवाल उप सचिव आवासन मंडल जयपुर** की भूमिका की जांच की जा रही है।

एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जावेगा।